[2021] 6 एस. सी. आर 742

मेसर्स ओरेटोर मार्केटिंग पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2021 की सिविल अपील संख्या 2231)

26 जुलाई, 2021

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

एसएस। 5 (8) , 7 , 62 - वित्तीय ऋण-किसी निगमित व्यक्ति को उसकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के कारण बिना ब्याज के सावधि ऋण देने वाले व्यक्ति का निर्माण-निगमित ऋणदाता द्वारा उसका भुगतान न करना-निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत-सी. आई. आर. पी. यू/एस. 7 अपीलार्थी-ऋणदाता-की अस्वीकृति एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा भी आवेदन में कहा गया है कि दावे को वित्तीय ऋण नहीं कहा जा सकता है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः वित्तीय लेनदार यू/एस द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत। 7 एक डिफ़ॉल्ट की घटना है

निगमित ऋणदाता द्वारा-'चूक' का अर्थ है पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण का भुगतान न करना जब ऋण देय और देय हो गया हो, और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण-'वित्तीय ऋण' शामिल हैं। 5 (8) ऋण के संबंध में बकाया मूलधन का अर्थ है और इसमें उस पर ब्याज भी शामिल होगा, यदि उस पर कोई ब्याज देय था यदि ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं है, तो केवल बकाया मूलधन ही वित्तीय ऋण के रूप में योग्य होगा-वित्तीय ऋण की परिभाषा। 5 (8) ब्याज मुक्त ऋण को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करता है 'वित्तीय ऋण' का अर्थ ब्याज मुक्त ऋण को शामिल करना होगा।

एक निगमित निकाय के व्यावसायिक संचालन के वित्तपोषण के लिए उन्नत

तथ्यों पर, एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. दोनों ने वित्तीय ऋण की परिभाषा का गलत अर्थ निकाला। 5 (8) , इसे अलग-थलग और संदर्भ से बाहर पढ़कर, इस प्रकार, एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को अलग कर दिया जाता है-आवेदन यू/एस। 7 आई. बी. सी. का पुनरुत्थान हो गया है।

एस. 5 (8) – वित्तीय ऋण-अभिव्यक्ति 'में शामिल है'-निर्माण-आयोजितः विधानमंडल के पास कानून में एक शब्द को परिभाषित करने की शक्ति है - जहाँ शब्द को कुछ शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है-उस संदर्भ के आधार पर जिसमें 'शामिल' शब्द का उपयोग किया गया हो सकता है, और उद्देश्य और समग्र रूप से अधिनियम की योजना, अभिव्यक्ति में 'शामिल हो सकता है जिसे प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए-शब्द और वाक्यांश।

742 मेसर्स ओरेटोर मार्केटिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड।

विधियों की व्याख्याः का निर्माण/व्याख्या

वैधानिक प्रावधान-आयोजितः कानून के विधायी इरादे को विधायिका द्वारा स्वयं उपयोग किए गए शब्दों में देखा जाना चाहिए-संदेह की स्थिति में, कानून का उद्देश्य और उद्देश्य या इसके पीछे का कारण और भावना देखी जानी चाहिए-जब किसी कानून में किसी निश्चित प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई सवाल उठता है, तो प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए-कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. दोनों ने गलत समझा है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 5 (8) में 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा को अलग से और संदर्भ से बाहर पढ़कर। एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय और आदेश, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के निर्णय और आदेश की पुष्टि करना और अपील को खारिज करना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, और इसे दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 8,32] [753-जी; 766-ए]

1.2 किसी भी वैधानिक का अर्थ लगाने और/या व्याख्या करने में

प्रावधान, किसी को क़ानून के विधायी इरादे पर गौर करना चाहिए। कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में पाया जाना चाहिए। संदेह के मामले में, क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य या इसके पीछे के कारण और भावना को देखना हमेशा सुरक्षित होता है। प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ अधिनियम के सामान्य उद्देश्य के आलोक में ही लगाया जाना चाहिए। व्याख्यात्मक प्रयास को लक्ष्य द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए, हालांकि द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए

शब्द "। जब किसी कानून में किसी निश्चित प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। कानून को समग्र रूप से पढ़ना होगा। कानून की पिछली स्थिति, क़ानून का सामान्य दायरा और दायरा और शरारत जिनका समाधान करने का इरादा था, वे प्रासंगिक कारक हैं। [पैरा 9,10] [753-एच; 754-ए-सी]

प्रासंगिक परिभाषाएँ, विशेष रूप से, धारा में 'दावा' की परिभाषा 3 (6) , ' धारा 3 (8) में निगमित देनदार ', धारा 3 (10) में' लेनदार ', धारा 3 (11) में' ऋण ', धारा 3 (12) में' चूक ',' वित्तीय

धारा 5 (7) में लेनदार के साथ-साथ आई. बी. सी. की धारा 6 और 7 के प्रावधान भी। आरंभ करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, यदि सवाल किया जाता है, तो [2021] 6 एस. सी. आर. है।

मुख्य शब्दों पर विचार करने पर निर्णय लिया जाना और

उपरोक्त धारा और अन्य संबंधित प्रावधानों में अभिव्यक्तियाँ। [पैरा 15,18] [759-बी, ई]

1.4 कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई कॉर्पोरेट देनदार चूक करता है। एक वित्तीय लेनदार कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ एक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है, जब एक चूक है

हुआ। एक 'निगमित देनदार' का अर्थ है एक निगमित व्यक्ति जो

इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है। धारा 5 (8) 'वित्तीय ऋण' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "ब्याज के साथ एक ऋण, यदि कोई हो, जो धन के समय मूल्य के विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है और इसमें आई. बी. सी. की धारा 5 (8) (ए) के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए उधार लिया गया धन शामिल है।

वित्तीय ऋण की परिभाषा 'धारा 5 (8) में उक्त धारा के उपखंड (ए) से (आई) के घटक शामिल हैं।

[पारस 19-21] [759-F-G; 760-A-C]

1.5 एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने "यदि कोई हो" शब्दों को नजरअंदाज कर दिया है, जिन्हें अनुचित नहीं माना जा सकता था। ' 'वित्तीय ऋण' का अर्थ है ऋण के संबंध में बकाया मूलधन और इसमें उस पर ब्याज भी शामिल होगा, यदि उस पर कोई ब्याज देय था। यदि ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं है, तो केवल बकाया मूलधन ही वित्तीय ऋण के रूप में योग्य होगा। दोनों एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. धारा 5 (8) के खंड (एफ) पर ध्यान देने में विफल रहे हैं, जिसके संदर्भ में 'वित्तीय ऋण' में किसी अन्य लेनदेन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि शामिल है, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव है। इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 5 की उप-धारा 8 के उप-खंड (ए) से (आई) स्पष्ट रूप से उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

विधानमंडल के पास कानून में किसी शब्द को परिभाषित करने की शक्ति है। इस तरह परिभाषा या तो प्रतिबंधात्मक हो सकती है या व्यापक हो सकती है। जहाँ शब्द को कुछ शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है। [पारस 22,23] [760-सी-ई]

1.6 बेशक, उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें शब्द

' इसमें शामिल है 'का उपयोग किया जा सकता है, और समग्र रूप से अधिनियम के उद्देश्य और योजना,' शामिल 'अभिव्यक्ति को प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण के रूप में समझना पड़ सकता है।

[पैरा 27] [761-एफ] एम/एस ओरेटर मार्केटिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड।

1.7 कॉर्पोरेट दिवाला की शुरुआत के लिए ट्रिगर

धारा 7 के तहत एक वित्तीय लेनदार द्वारा समाधान प्रक्रिया

आई. बी. सी. कॉर्पोरेट देनदार द्वारा चूक की घटना है। 'चूक' का अर्थ है ऋण का पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान न करना जब ऋण देय और देय हो गया हो और ऋण का अर्थ है किसी दावे के संबंध में दायित्व या दायित्व जो किसी व्यक्ति से देय है और जिसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। 'ऋण' की परिभाषा भी व्यापक है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय ऋण भी शामिल है। आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा स्पष्ट रूप से ब्याज मुक्त ऋण को बाहर नहीं करती है। 'वित्तीय ऋण' का अर्थ किसी निगमित निकाय के व्यावसायिक संचालन के वित्तपोषण के लिए दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को शामिल करना होगा। [पैरा

31] [765 - ई-जी]

पोपपटलाल शाह बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 274

: [1953] एस. सी. आर. 677; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बनाम आई. सी. आई. सी. आई.

बैंक लिमिटेड (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एससीआर 33; स्विस रिबन्स प्रा. लिमिटेड और एन. आर. बनाम भारत संघ और

अन्य (2019) 4 एससीसी 17 [2019] 3 एससीआर 535; पायनियर

अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम भारत संघ

(2019) 8 एससीसी 416: [2019] 10 एस. सी. आर. 381; दिलवर्थ बनाम।

डाक टिकट आयुक्त (1899) एसी 99; बॉम्बे राज्य

वी. अस्पताल मजदूर सभा और अन्य। ए. आई. आर 1960 एस. सी. 610

: [1960] 2 एस. सी. आर. 866; सी. आई. टी. आंध्र प्रदेश बनाम। ताजमहल

होटल सिकंदराबाद (1971) 3 एस. सी. सी. 550: [1972] 1 एससीआर

168 ; अनुज जैन, अंतरिम समाधान पेशेवर

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड (2020) 8 एससीसी

401 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1953] एससीआर 677

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2019] 10 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

(1899) एसी 99

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1960] 2 एससीआर 866

संदर्भित किया गया है

पैरा

25 [2021] 6 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1972] 1 एससीआर 168

पैरा

26

संदर्भित किया गया है

(2020) 8 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2231

2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 08.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कम्पनीक विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, कम्पनीक नई दिल्ली पीठ। ऐप. (ए. टी.) (आई. एन. एस.) 2020 की सं. 1064।

निखिल गोयल, लज़ाफीर अहमद बी. एफ., अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। अनिरुद्ध देशमुख, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

दिवाला और दिवालियापन की धारा 62 के तहत यह अपील

संहिता, 2016 (इसके बाद आई. बी. सी. के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.), नई दिल्ली के 2020 के कंपनी आवेदन (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 1064 में अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसमें एन. सी. एल. ए. टी. ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज करने के लिए प्रसन्न किया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.), नई दिल्ली के दिनांकित आदेश की पुष्टि की है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत दायर याचिका सी. पी. (आई. बी.) संख्या 908/एन. डी./2020 को खारिज करते हुए कहा गया है कि अपीलकर्ता वित्तीय साख नहीं है। अपीलार्थी विचाराधीन ऋण का समनुदेशक होता है।

2. इस अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति

जो किसी निगमित व्यक्ति को उसकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के कारण ब्याज मुक्त सावधि ऋण देता है, वह वित्तीय लेनदार नहीं है, और

इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत निगमित समाधान प्रक्रिया शुरू करने में अक्षम।

3. मेसर्स समीर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद के रूप में संदर्भित

"मूल ऋणदाता" को रुपये का सावधि ऋण दिया गया। निगम ऋणदाता को अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए दो साल की अवधि के लिए निगम ऋणदाता को 1.6 करोड़ रुपये। मूल ऋणदाता ने बकाया ऋण अपीलार्थी को सौंपा है।

4. अपीलार्थी के अनुसार ऋण चुकाया जाना था

01.02.2020 के भीतर पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट देनदार। अपीलार्थी दावा करता है कि एस ओरेटर मार्केटिंग पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]कॉर्पोरेट देनदार ने कुछ भुगतान किए, लेकिन रु। 1. 56 करोड़ अभी भी

उत्कृष्ट में।

5. अपीलार्थी ने निगमित समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की। हालाँकि, याचिका को 23.10.2020 दिनांकित एक निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। डिकटिंग अथॉरिटी (एन. सी. एल. टी.) ने कहाः

" 11. पक्षकारों को सुना और मामले के अभिलेखों को पढ़ा।

12. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आवेदक ने शुरू में

प्रत्यर्थी कंपनी को ब्याज की राशि मुफ्त में वितरित की।

आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऋण दिया गया था

ब्याज मुक्त।

****

15. केवल ऋण प्रदान करने और ऋण लेने की स्वीकृति से आवेदक को संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर 'वित्तीय लेनदार' के रूप में नहीं माना जाएगा।

*

***

17. आवेदन में आवेदक ने स्वयं कहा है कि

ऋण ब्याज मुक्त था।

****

20. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इसकी जिम्मेदारी आवेदक पर है

यह स्थापित करें कि ऋण धन के समय मूल्य पर विचार के बदले दिया गया था। यह साबित करने की जिम्मेदारी भी आवेदक पर है कि वह यह स्थापित करे कि आवेदन में दावा किया गया ऋण 'वित्तीय ऋण' के दायरे में आता है और आवेदक वर्तमान दावे के संबंध में एक वित्तीय लेनदार है। आवेदक पुष्टि करने में बुरी तरह विफल रहा है

आवेदन के भाग-V में दावा किया गया, के अनुसार देय है सहमत ऋण करार।

21. डॉ. बीवीएस लक्ष्मी बनाम के मामले में माननीय एनसीएलटी। जियोमेट्रिक्स लेजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने देखा है कि "एफ. सी./- 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा के अंतर्गत आता है

धारा 5 की उप-धारा (8) के तहत परिभाषित दावेदार को यह दिखाने की आवश्यकता है कि (I) ब्याज के साथ एक ऋण है, यदि कोई हो, जो वितरित किया गया है और (ii) ऐसा संवितरण सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

समय मूल्य के लिए 'विचार' के खिलाफ बनाया गया है

पैसे की " 22. यह दोहराया जाता है कि वर्तमान मामले में न तो ऋण समझौते में ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई प्रावधान है और न ही उक्त ऋण पर भुगतान की जाने वाली ब्याज की लागू दर स्थापित करने के लिए कोई सहायक प्रमाण/दस्तावेज है। आवेदक यह साबित करने में विफल रहा है कि ऋण धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया गया था, विशेष रूप से जब प्रतिवादी कंपनी ने पुष्टि की है कि किसी भी समय कोई ब्याज नहीं दिया गया है जो देय नहीं है।

23. इसी तरह, श्रेयांस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. के मामले में। बनाम सरोज रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.311

माननीय एन. सी. एल. ए. टी. ने दिनांकित 04.07.2018 आदेश में कहा है कि जब निगमित देनदार ने कभी भी इसके घटक को स्वीकार नहीं किया

ब्याज और ब्याज के साथ ऋण चुकाने का कोई वचन नहीं दिया है; अपीलकर्ता 'निगमित ऋणदाता' से 'वित्तीय ऋण' का दावा नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार धारा 5 (7) के तहत परिभाषित वित्तीय ऋणदाता होने का दावा नहीं किया जा सकता है।

(8) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 24. इसलिए न तो वर्तमान दावे को वित्तीय ऋण कहा जा सकता है और न ही आवेदक इसके दायरे में आता है।

वित्तीय लेनदार का अर्थ '। एक बार जब आवेदक वित्तीय लेनदार के अर्थ के भीतर नहीं आता है तो वह धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के लिए अयोग्य हो जाता है।

दिवाला संहिता 2016।

25. ऊपर बताए गए कारणों से यह याचिका विफल हो जाती है और

समान स्टैंड को बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया गया है।

6. पीड़ित होते हुए, अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा के तहत एक अपील दायर की। अपील को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष आक्षेप और आदेश।

7. विवादित निर्णय और आदेश का प्रासंगिक हिस्सा सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:

" 5. हमने दोनों पक्षों के वकील को सुना है और इस पर विचार किया है

प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील और जवाब। यह तथ्य कि प्रत्यर्थी को ऋण अग्रिम दिया गया था, विवाद में नहीं है।

रेटर मार्केटिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

तीर प्रश्न शामिल है कि क्या लेन-देन

संबंधित को आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में परिभाषित वित्तीय ऋण के लेन-देन के रूप में माना जा सकता है। आई. बी. सी. धारा 5 (8) के तहत "वित्तीय वृद्धि" की परिभाषा इस प्रकार हैः

" (8) " "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो ऋण के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

धन का समय मूल्य और इसमें शामिल हैं

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि;

(ख) किसी भी स्वीकृति के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि।

ऋण सुविधा या इसके भौतिकीकृत समकक्ष;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या किसी भी समान साधन के जारी होने के अनुसार जुटाई गई कोई राशि; कंपनी अपील (एटी) (आईएनएस)

2020 का No.1064;

(घ) किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखा मानकों के तहत वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में माना जाता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं;

(ई) किसी भी वस्तु के अलावा बेची गई या छूट प्राप्तियाँ

गैर-सहारा आधार पर बेची जाने वाली प्राप्य वस्तुएँ;

(च) किसी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई राशि, किसी भी अग्रिम बिक्री या खरीद समझौते को शामिल करते हुए, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव पड़ता है;

स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

(i) किसी अचल संपत्ति के तहत किसी आबंटित व्यक्ति से जुटाई गई कोई भी राशि।

परियोजना को ऐसी राशि माना जाएगा जिसमें

ऋण लेने का वाणिज्यिक प्रभाव; और

((ii) "आबंटित" और "अचल संपत्ति परियोजना" अभिव्यक्तियों के अर्थ अचल संपत्ति की धारा 2 के खंड (घ) और (जेडएन) में क्रमशः दिए गए होंगे।

(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16);]

(छ) किसी भी दर या मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ के संबंध में और किसी भी व्युत्पन्न [2021] 6 एस. सी. आर. के मूल्य की गणना के लिए किया गया कोई व्युत्पन्न लेनदेन।

लेन-देन, केवल ऐसे लेन-देन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा; (ज) एक के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व

गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, साख का दस्तावेजी पत्र

संस्था; ((i) किसी भी संबंध में किसी भी दायित्व की राशि

में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति

(आई. एन. एस.) 20206 आई. बी. सी. का No.1064 अलग से ऋण को परिभाषित करता है धारा 3 (11) निम्नानुसार हैः

" (11) " "ऋण" का अर्थ है किसी के संबंध में दायित्व या दायित्व।

दावा जो किसी भी व्यक्ति से देय है और जिसमें एक वित्तीय दावा शामिल है

ऋण और परिचालन ऋण;

यह स्पष्ट है कि ऐसे ऋण हो सकते हैं जो आवश्यक रूप से वित्तीय ऋण या परिचालन की परिभाषा में नहीं आते हैं। ब्याज के भुगतान के बदले उधार लिया गया धन वित्तीय ऋण की परिभाषा के अंतर्गत आता है। हालाँकि, अगर उधार लिया गया पैसा है

की परिभाषा के तहत, ब्याज के भुगतान के खिलाफ नहीं

वित्तीय ऋण, मुख्य आवश्यकता यह पता लगाना है कि क्या है

" धन के समय मूल्य पर विचार करना। मामले के तथ्यों का खुलासा होता है और अपील में यह भी दर्ज किया जाता है कि जब निगमित देनदार आगे कोई ऋण प्राप्त करने में असमर्थ था।

मेसर्स से ऋण लेने के बाद बाजार। टाटा कैपिटल वित्तीय सेवा लिमिटेड, मेसर्स। समीर सेल्स जो संबंधित था

निगमित देनदार के पक्षकार ने निगमित देनदार को 1 फरवरी, 2020 को या उसके बाद देय ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण दिया और वह भी ऋणदाताओं की मांग पर। ऋण समझौते को स्वयं पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा

एक ही बात समझिए। ऋण समझौता (अनुलग्नक ए-2) यह नीचे लिखा हैः

ऋण समझौता

वर्तमान ऋण समझौता समाप्त किया जा रहा है

सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। इस पर नई दिल्ली में 20 दिन जनवरी दो हजार अठारह।

रेटर मार्केटिंग पीवीटी। लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

दोनों के बीच (1) मेसर्स समीर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी, जिसका सी. आई. एन. नं. यू51900 डीएल 1992 पीटीसी047363, जिसका पंजीकृत कार्यालय है

122, ट्रिब्यूनल कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065 में, इसके निदेशक, कमलेश रानी भारद्वाज द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जिसके बाद "ऋणदाता" का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होगा और इसमें समय-समय पर नामित, नियुक्त या उत्तराधिकारी शामिल होंगे।

और

(2) मेसर्स सेमटेक्स डेसिंज प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत सी. आई. एन. नं. U18209DL2017PTC320315, पंजीकृत कार्यालय वाला

ए-36, होइसरी कॉम्प्लेक्स फेज 2 नोएडा यू. पी. में इसके निदेशक श्री सुमीर दुग्गल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जिसे इसके बाद संदर्भित किया गया है

पृष्ठभूमि 1. वह जबकि मेसर्स के व्यवसाय की खरीद (देनदारियों को छोड़कर) के परिणामस्वरूप। सैमटेक्स डेसिंज (प्रोपराइटरशिप फर्म) ने एक करोड़ रुपये के सावधि ऋण का लाभ उठाया था।

स्टाम्प शुल्क आदि के भुगतान से संबंधित अन्य आवश्यकताएँ सैमटेक्स डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड

निर्देशक

निर्देशक/ऑथो। हस्ताक्षर करें। उधारकर्ता और इसलिए 2,00,00,000.00 (केवल दो करोड़) की कमी है।

2. मैसर्स टाटा कैपिटल से उपरोक्त ऋण के कारण कोई अन्य संस्थान नहीं है। असुरक्षित [2021] 6 एस. सी. आर. का विस्तार करने की इच्छा।

उधारकर्ता को ऋण, और इसलिए यह सहमति है कि ऋणदाता रुपये का ऋण बढ़ाने के लिए सहमत है। 1,60,00, 000.00 (केवल एक करोड़ साठ लाख) उधारकर्ता के पक्ष में।

शर्तें और शर्तें

3. कि पक्षों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान ऋण को किसी भी शुल्क के बिना बढ़ाया जा रहा है वर्तमान या भविष्य में परिसंपत्तियाँ।

4. इस समझौते की तारीख से ऋण पर शून्य ब्याज लगेगा। 5. इस समझौते में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऋण राशि दो साल की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद किसी भी समय तुरंत देय और देय हो जाएगी, यानी ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर 01/02/2020 पर या उसके बाद।

7. उधारकर्ता पूरे ऋण का भुगतान आईडी1 पर या उससे पहले करेगा और जब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक वर्तमान समझौते की शर्तें लागू रहती हैं। ऋणकर्ता अपने इरादे के बारे में ऋणदाता को लिखित सूचना देने के बाद किसी भी समय बिना किसी जुर्माने के ऋण राशि का पूर्व भुगतान करने का हकदार है। 8. समझौता उपरोक्त खंड 7 में दर्शाई गई अवधि से तब तक लागू रहेगा जब तक कि खंड 7 के अनुसार पहले समाप्त नहीं हो जाता।

9. इस समझौते के तहत सभी सूचनाएं लिखित रूप में दी जाएंगी और या तो विशेष संदेशवाहक और हाथ से भेजी जाएंगी। और उन पतों पर जो किसी भी पक्ष द्वारा समय-समय पर सुझाए जा सकते हैं।

रेटर मार्केटिंग पीवीटी। लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

10. यह समझौता भारतीय कानून द्वारा शासित होगा और

दिल्ली के न्यायालयों के पास किसी भी मामले को निपटाने का अधिकार क्षेत्र होगा। इस समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला विवाद।

उधारकर्ता के लिए

ऋणदाता के लिए

सैमटेक्स-डिज़िंज़-प्राइवेट लिमिटेड

निर्देशक

निर्देशक

गवाहः

जब हम पैराग्राफ में दर्ज पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं

- 1 और उपरोक्त ऋण समझौतों में से 2, यह स्पष्ट है कि बहन संस्था जिसने ऋण बढ़ाने का उल्लेख नहीं किया

निगमित देनदार की समस्या के अलावा कुछ भी,

ऋण देने के लिए। यह केवल दर्ज किया गया है कि क्योंकि

कोई अन्य संस्था असुरक्षित ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। निगमित देनदार "और इसलिए", ऋणदाता के पास था

रुपये के ऋण को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। 1,60,00,000 / - के लिए

उधारकर्ता (अर्थात निगमित ऋणदाता)। फिर उपरोक्त

समझौता नियम और शर्तों को संदर्भित करता है।

अपील पैरा-7 (घ) निम्नानुसार हैः

" डी। इन परिस्थितियों में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए

निगमित कर्जदार के व्यवसाय के बारे में श्री समीर

भारद्वाज, तत्कालीन निदेशक और वर्तमान अधिकृत सहयोगी संस्था के माध्यम से प्रत्यर्थी का हस्ताक्षरकर्ता

रुपये का एक सूरज आगे बढ़ा। 1.60 करोड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून के अनुपालन में, उपरोक्त राशि को बढ़ाया गया था

एक ऋण समझौते के तहत, हालांकि राशि अग्रिम थी

ब्याज मुक्त, क्योंकि व्यवसाय का विकास था

धन के समय मूल्य के लिए पर्याप्त विचार।

एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय और आदेश, निर्णय की पुष्टि करते हुए

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) की याचिका और अपील को खारिज करना त्रुटिपूर्ण है। एनसीएलएटी और एनसीएलटी दोनों ने इसका गलत अर्थ निकाला है।आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में 'वित्तीय ऋण' का एन.

अलगाव और संदर्भ से बाहर।

किसी भी वैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने और/या व्याख्या करने में, एक

के कानून के विधायी इरादे में। [2021] 6 एस. सी. आर. का इरादा।

कानून को विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में पाया जाना चाहिए। संदेह के मामले में, क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य या इसके पीछे के कारण और भावना को देखना हमेशा सुरक्षित होता है। प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ अधिनियम के सामान्य उद्देश्य के आलोक में ही लगाया जाना चाहिए, जैसा कि मुखर्जी, जे. द्वारा पोपपटलाल शाह बनाम मद्रास राज्य 1 में देखा गया है।

और इस न्यायालय के कई अन्य निर्णय। कृष्ण अय्यर, जे को उद्धृत करने के लिए, व्याख्यात्मक प्रयास "लक्ष्य द्वारा प्रकाशित होना चाहिए, हालांकि शब्दों द्वारा निर्देशित"।

10. जब किसी कानून में किसी निश्चित प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो प्रावधान को उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। कानून को समग्र रूप से पढ़ना होगा। कानून की पिछली स्थिति, सामान्य दायरा और कानून की परिधि और उस शरारत को दूर करने का इरादा प्रासंगिक कारक हैं।

11. इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। बनाम आईसीआईसीआई बैंक Ltd.[2],

नरीमन, जे. द्वारा लिखित, इस न्यायालय ने आई. बी. सी. की योजना का विश्लेषण किया और कहाः

" 27. कोड की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब एक डिफ़ॉल्ट

यह इस अर्थ में होता है कि ऋण देय हो जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है, दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू होती है। धारा 3 (12) में चूक को बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि एक बार देय और देय होने के बाद ऋण का भुगतान न करना, जो

इसमें उसके कुछ हिस्से का भुगतान न करना या किश्त राशि शामिल है। "ऋण" के अर्थ के लिए, हमें धारा 3 (11) पर जाना होगा, जो बदले में हमें बताती है कि ऋण का अर्थ है "दावे" के संबंध में दायित्व का दायित्व और "दावे" के अर्थ के लिए, हमें धारा 3 (6) पर वापस जाना होगा जो "दावे" को भुगतान के अधिकार के रूप में परिभाषित करता है, भले ही वह विवादित हो। कोड उस समय चालू हो जाता है जब डिफ़ॉल्ट एक लाख रुपये या उससे अधिक का होता है (धारा 4)। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया निगमित देनदार द्वारा ही शुरू की जा सकती है या

वित्तीय लेनदार या परिचालन लेनदार। संहिता द्वारा वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के ऋणों के बीच अंतर किया जाता है। एक वित्तीय लेनदार को धारा 5 (7) के तहत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और एक वित्तीय ऋण को धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक ऐसा ऋण जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है। इसके विपरीत, एक परिचालन लेनदार

1 1 आकाशवाणी 1953 एस. सी. 274

2 2 (2018) 1 एस. सी. सी. 407 एस ओ. आर. ए. टी. आर. मार्केटिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

एक व्यक्ति जिसका परिचालन ऋण बकाया है और एक धारा 5 (21) के तहत परिचालन ऋण का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा।

28. जब प्रक्रिया को गति देने वाले वित्तीय लेनदार की बात आती है, तो धारा 7 प्रासंगिक हो जाती है। धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण के तहत, वित्तीय ऋण के संबंध में चूक होती है।

निगमित देनदार के किसी भी वित्तीय लेनदार का बकाया

आवेदक के वित्तीय लेनदार का ऋण होना आवश्यक नहीं है। धारा 7 (2) के तहत, उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से किया जाना है जैसा कि निर्धारित किया गया है, जो हमें दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016 तक ले जाता है। नियम 4 के तहत, आवेदन फॉर्म 1 में एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया जाता है।

उसमें आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ। प्रपत्र 1 5 भागों में एक विस्तृत प्रपत्र है, जिसके लिए विवरण की आवश्यकता होती है -

भाग I में आवेदक, भाग II में निगमित देनदार का विवरण, प्रस्तावित अंतरिम संकल्प का विवरण

भाग III में पेशेवर, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण और भाग V में चूक के दस्तावेज, रिकॉर्ड और साक्ष्य। नियम 4 (3) के तहत, आवेदक को एक प्रति भेजनी है। निगमित ऋणी के पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ दायर आवेदन का। वह गति, जिसके भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यह धारा 7 (5) के स्तर पर है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट होना है कि एक चूक हुई है, कि कॉर्पोरेट देनदार को यह इंगित करने का अधिकार है कि एक चूक इस अर्थ में नहीं हुई है कि "ऋण", जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकारी है

इस बात से संतुष्ट कि कोई चूक हुई है, आवेदन को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह अधूरा न हो, इस मामले में वह आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए नोटिस दे सकता है। उप-धारा (7) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तब वित्तीय लेनदार और [2021] 6 एस. सी. आर. को पारित आदेश के बारे में सूचित करेगा।

निगमित देनदार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर ऐसा आवेदन, जैसा भी मामला हो।

29. धारा 7 की योजना योजना के विपरीत है।

धारा 8 के तहत जहां एक परिचालन लेनदार है,

एक डिफ़ॉल्ट की घटना, पहले एक मांग सूचना देने के लिए

परिचालन ऋणी को भुगतान नहीं किया गया ऋण

प्रदान किया गया

से

द.

8 (1)

अनुभाग

में

कोड। जिस क्षण इस तरह के विवाद का अस्तित्व होता है,

परिचालन लेनदार संहिता के चंगुल से बाहर निकल जाता है।

30. दूसरी ओर, जैसा कि हमने देखा है, एक के मामले में

निगमित ऋणी जो वित्तीय ऋण की चूक करता है,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को केवल अभिलेखों को देखना है

द्वारा प्रस्तुत सूचना उपयोगिता या अन्य साक्ष्य

वित्तीय लेनदार स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि एक चूक हुई है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋण विवादित है जब तक कि ऋण

"देय" है अर्थात देय है जब तक कि किसी कानून द्वारा बाधित न हो या

अभी तक इस अर्थ में देय नहीं हुआ है कि यह कुछ पर देय है

भविष्य की तारीख। यह तभी होता है जब यह संतोषजनक साबित होता है

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कर सकता है एक आवेदन को अस्वीकार करें और अन्यथा नहीं।

12. स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड और एन. आर. बनाम भारत संघ और

आर. एस. 3, इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए कहाः

" 27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बारे में एक अंतर्दृष्टि देती है कि क्या

संहिता द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। कोड पहले है और

सबसे पहले, पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक संहिता

निगमित देनदारियों का। जब तक ऐसा पुनर्गठन नहीं किया जाता है समयबद्ध तरीके से, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का मूल्य

नष्ट हो जाएगा। अतः परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण

ऐसे व्यक्ति ताकि उन्हें कुशलता से चालू चिंताओं के रूप में चलाया जा सके

यह संहिता का एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह, बदले में,

प्रबंधन में व्यक्तियों के रूप में उद्यमिता को बढ़ावा देंगे

और निगमित देनदार को आर्थिक स्थिति में वापस लाया जाता है मुख्यधारा में, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम है, जो बदले में,

9) 4 एस. सी. सी. 17 एस. ओरटर मार्केटिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

बैंकों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है और

वित्तीय संस्थान। सबसे बढ़कर, अंततः सभी हितधारकों के हितों की देखभाल खुद कॉर्पोरेट देनदार के रूप में की जाती है समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है-श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, लंबे समय में लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। चूँकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है,

व्यवसाय तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर उच्च स्तर की ओर ले जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास और विकास।

दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका उपयोग केवल एक प्रस्ताव के रूप में किया जाता है।

अंतिम उपाय यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं। परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार का व्यवसाय बेच सकता है।

एक चालू चिंता के रूप में। (आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड v. देखें। सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1] पैरा 83 पर,

एफएन 3)।

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट मृत्यु से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है। कोड इस प्रकार है एक लाभकारी कानून जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, न कि लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून है। इसलिए निगमित देनदार के हितों को उसके प्रवर्तकों/प्रवर्तकों के हितों से अलग कर दिया गया है।

वे प्रबंधन में हैं। इस प्रकार समाधान प्रक्रिया नहीं है निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल लेकिन, वास्तव में,

उनके हित। धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है।

समाधान प्रक्रिया के लिए समय सीमा

जगह फिर से कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति को और कमजोर होने से बचाती है, और अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी रक्षा करती है।

यह देखते हुए कि समाधान प्रक्रिया जितनी तेजी से हो सके

ताकि एक अन्य प्रबंधन इसके माध्यम से कर सके

उद्यमशीलता कौशल, कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने के लिए इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें।
"[2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. इस न्यायालय ने आगे कहाः

" 42. "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" की परिभाषा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय ऋण ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण है, जिसे धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया जाता है। यह आगे वह धन हो सकता है जो किसी भी निर्धारित तरीके से उधार लिया जाता है या जुटाया जाता है।

धारा 5 (8) में या अन्यथा, धारा 5 (8) एक समावेशी परिभाषा है। दूसरी ओर, एक "परिचालन ऋण" में रोजगार सहित वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दावा या किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में और सरकार या किसी अन्य को देय ऋण शामिल होगा। स्थानीय प्राधिकरण।

43. एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों या ऐसे व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से संहिता लागू कर सकता है जिन्हें "चूक" होने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संहिता ऐसे व्यक्तियों द्वारा निगमित देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार को किए गए चूक के संबंध में लागू की जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बार लागू होने के बाद, संकल्प

संहिता के तहत प्रक्रिया एक सामूहिक कार्यवाही है

जो, पहली बार में, निगमित देनदार का पुनर्वास करना चाहता है। धारा 7 (4) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, निर्धारित अवधि के भीतर, वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएं; और धारा 7 (5) के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संतुष्ट होना होगा कि चूक हुई है, जब वह आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार कर सकता है, या आवेदन को खारिज कर सकता है यदि ऐसा चूक नहीं हुई है। दूसरी ओर, के तहत

धारा 8 और 9, एक परिचालन लेनदार,

फिर निर्दिष्ट अवधि के भीतर जवाब दिया जाएगा। क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि इस स्तर पर, यदि कोई आवेदन पहले दायर किया जाता है

निगम शुरू करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण दिवाला समाधान प्रक्रिया, कॉर्पोरेट देनदार यह साबित कर सकता है कि ऋण विवादित है। जब ऋण इतना विवादित होता है, तो

आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14. पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बनाम संघ दिवस, इस न्यायालय ने नरीमन, जे. के माध्यम से बोलते हुए कई का उल्लेख किया

9) 8 एस. सी. सी. 416 एम/एस ओरेटर मार्केटिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) सहित पूर्व निर्णय और

स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (ऊपर) और यह अभिनिर्धारित किया कि जो व्यक्ति डिबेंचर धारक और सावधि जमा धारक थे, वे भी वित्तीय लेनदार हो सकते हैं जो निगमित समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

15. आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा को कुछ अन्य प्रासंगिक बातों पर विचार किए बिना अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। परिभाषाएँ, विशेष रूप से, धारा 3 (6) में 'दावा' की परिभाषा, 'निगमित'

धारा 3 (8) में 'देनदार', धारा 3 (10) में 'लेनदार', धारा 3 (11) में 'ऋण', धारा 3 (12) में 'चूक', धारा 5 (7) में 'वित्तीय लेनदार' और अन्य बातों के साथ-साथ आई. बी. सी. की धारा 6 और 7 के प्रावधान भी।

16. आई. बी. सी. की धारा 6 के तहत, एक वित्तीय अधिकार अर्जित होता है।

लेनदार, एक परिचालन लेनदार और स्वयं निगमित देनदार शुरू करने के लिए

आई. बी. सी. के अध्याय 2 में दी गई रीति से ऐसे निगमित ऋणदाता के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया।

17. आई. बी. सी. की धारा 7 एक वित्तीय लेनदार को एक फाइल करने में सक्षम बनाती है।

स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन

या वित्तीय लेनदार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जब कोई चूक हुई हो।

18. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता, यदि सवाल किया जाता है, तो उपरोक्त धारा और अन्य में मुख्य शब्दों और अभिव्यक्तियों पर विचार करने पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

संबंधित प्रावधान।

19. कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई कॉर्पोरेट देनदार चूक करता है। एक वित्तीय लेनदार एक आवेदन दायर कर सकता है निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए, जब कोई चूक हुई हो।

20. एक 'निगमित देनदार' का अर्थ है एक निगमित व्यक्ति जो आई. बी. सी. की धारा 3 (8) में इस अभिव्यक्ति की परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति का ऋण देता है। धारा 3 (11) 'ऋण' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें शामिल है -

वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण "। 'दावा' शब्द हो चुका है

धारा 3 (6) में परिभाषित किया गया है कि "अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या असुरक्षित तक सीमित हो या नहीं।" चूक 'को धारा 3 (12) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "ऋण का भुगतान न करना जब पूरा या कोई हिस्सा हो।

या ऋण की राशि की किश्त देय और देय हो गई है [2021] 6 एस. सी. आर.

21. आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा ऊपर उद्धृत की गई है। धारा 5 (8) 'वित्तीय ऋण' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "ब्याज के साथ एक ऋण, यदि कोई हो, जो इसके विरुद्ध वितरित किया जाता है। धन के समय मूल्य पर विचार करना और इसमें धन भी शामिल है

आई. बी. सी. की धारा 5 (8) (ए) के अनुसार ब्याज के भुगतान के खिलाफ उधार लिया गया। धारा 5 (8) में वित्तीय ऋण की परिभाषा में उक्त धारा के उपखंड (ए) से (आई) के घटक शामिल हैं।

22. एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने "यदि कोई हो" शब्दों को नजरअंदाज कर दिया है जिनका उद्देश्य अनुचित नहीं हो सकता था। 'वित्तीय ऋण' का अर्थ है ऋण के संबंध में बकाया मूलधन और इसमें यह भी शामिल होगाः

उस पर ब्याज, यदि कोई ब्याज देय था। यदि ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं है, तो केवल बकाया मूलधन ही वित्तीय ऋण के रूप में योग्य होगा। एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. दोनों नोटिस देने में विफल रहे हैं। धारा 5 (8) के खंड (च), जिसके संदर्भ में 'वित्तीय ऋण' में किसी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि शामिल है, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव है।

23. इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 5 की उप-धारा 8 के उप-खंड (ए) से (आई) स्पष्ट रूप से उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। विधानमंडल

कानून में किसी शब्द को परिभाषित करने की शक्ति है। ऐसी परिभाषा या तो प्रतिबंधात्मक हो सकती है या व्यापक हो सकती है। जहाँ शब्द को कुछ शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है।

24. दिलवर्थ वी. डाक टिकट 3 के आयुक्त प्रिवी काउंसिल ने एक परिभाषा के साथ काम करते हुए कहा, 'शामिल' शब्द का उपयोग आम तौर पर अर्थ को बड़ा करने के लिए व्याख्या खंडों में किया जाता है; और जब इसका उपयोग किया जाता है तो इन शब्दों या वाक्यांशों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए, न केवल ऐसी चीजें जो वे अपने प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाती हैं, बल्कि उन चीजों के रूप में भी जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है कि वे शामिल करेंगे। लेकिन 'सम्मिलित' शब्द एक अन्य संरचना के लिए अतिसंवेदनशील है, जो अनिवार्य हो सकता है, यदि अधिनियम का संदर्भ यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इसका उपयोग केवल परिभाषित शब्दों या अभिव्यक्तियों के प्राकृतिक महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। यह 'मीन एंड' के बराबर हो सकता है।

5 (1899) एसी 99 एम/एस ओरेटोर मार्केटिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

26. सी. आई. टी. आंध्र प्रदेश बनाम. ताजमहल होटल सिकंदराबाद ", इस न्यायालय ने ए. एन. ग्रोवर, जे. के माध्यम से बोलते हुए इसकी परिभाषा का अर्थ निकाला आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (5) में संयंत्र, जिसे "संयंत्र" कहा जाता है, में वाहन, किताबें, वैज्ञानिक उपकरण और शल्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

व्यवसाय, पेशा या व्यवसाय के उद्देश्य से खरीदा गया और कहा गयाः

" यह तथ्य कि पुस्तकों को भी शामिल किया गया है, यह दर्शाता है कि 'पौधे' को दिया जाने वाला अर्थ व्यापक है। 'सम्मिलित' शब्द का उपयोग अक्सर व्याख्या खंडों में किया जाता है ताकि क़ानून के मुख्य भाग में आने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ को बढ़ाया जा सके। जब इसका इस तरह से उपयोग किया जाता है तो इन शब्दों और वाक्यांशों को न केवल ऐसी चीजों को समझने के रूप में समझा जाना चाहिए जो वे अपनी प्रकृति और महत्व के अनुसार दर्शाते हैं, बल्कि उन चीजों को भी जिन्हें व्याख्या खंड घोषित करता है कि वे शामिल करेंगे।

27. बेशक, उस संदर्भ के आधार पर जिसमें 'शामिल' शब्द का उपयोग किया गया हो सकता है, और समग्र रूप से अधिनियम के उद्देश्यों और योजना के आधार पर, अभिव्यक्ति में 'शामिल' को प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण के रूप में माना जा सकता है।

6 ए. आई. आर 1960 एस. सी. 610 7 (1971) 3 एससीसी 550

8 (2020) 8 एससीसी 401 [2021] 6 एस. सी. आर.

" 46. संहिता की धारा 5 (8) में आने वाली परिभाषा के लिए उपरोक्त मौलिक सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऋण "वित्तीय" बन जाएगा। ऋण "संहिता के भाग II के उद्देश्य के लिए, मूल तत्व

यह है कि यह धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध एक संवितरण होना चाहिए। इसमें धन जुटाने या दायित्व वहन करने के लिए कोई भी तरीका शामिल हो सकता है।

धारा 5 (8) के खंड (ए) से (एफ) में निर्धारित; इसमें कोई व्युत्पन्न लेनदेन या प्रति-क्षतिपूर्ति भी शामिल हो सकती है।

धारा 5 (8) के खंड (जी) और (एच) के अनुसार दायित्व; और यह इनमें से किसी के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि भी हो सकती है।

खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी भी मद के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति। ऋण के अस्तित्व की आवश्यकता, जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित की जाती है, हमारे विचार में, खंड (ए) से (आई) में बताए गए किसी भी लेनदेन/लेनदेन के संबंध में भी एक आवश्यक हिस्सा बनी हुई है। धारा 5 (8), भले ही यह आवश्यक रूप से उसमें नहीं कहा गया हो। किसी भी मामले में, परिभाषा को, अपने ढांचे के अनुसार, इतना विस्तृत, बल्कि असीम रूप से व्यापक नहीं पढ़ा जा सकता है, कि "धन के समय मूल्य के लिए विचार" के खिलाफ "संवितरण" की मूल आवश्यकताओं को इस तरह से त्याग दिया जा सकता है कि कोई भी लेनदेन अकेले वित्तीय ऋण बन सकता है। दूसरे शब्दों में, उक्त खंडों में वर्णित कोई भी लेन-देन

(क) धारा 5 (8) के (i) तक "वित्तीय ऋण" के दायरे में तभी आएगा जब इसमें बताए गए आवश्यक तत्व शामिल हों।

मूल खंड में या कम से कम ऐसी विशेषताएं हैं जिनका पता मूल खंड में ऐसे आवश्यक तत्वों से लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, संवितरण का आवश्यक तत्व, और वह भी धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध, संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर "वित्तीय ऋण" के रूप में माने जाने से पहले किसी भी ऋण की उत्पत्ति में पाया जाना चाहिए। यह ऋण किसी भी प्रकृति का हो सकता है, लेकिन इसके एक हिस्से को हमेशा वहन करना, या उसके अनुरूप होना, या कम से कम धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध संवितरण के कुछ निशान होना आवश्यक है।

47. जैसा कि देखा गया है, संहिता के भाग II के उद्देश्य के लिए एक लेनदार के लिए वित्तीय लेनदार बनने की मूल आवश्यकता, एक वित्तीय ऋण होना चाहिए जो उस व्यक्ति पर बकाया है। वह प्रमुख लेनदार हो सकता है जिसके लिए वित्तीय ऋण S ORATOR MARKETING PVT है।

लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

48. यह भी स्पष्ट है कि किससे निपटा जा रहा है और धारा 5 (7) और धारा 5 (8) में वर्णित लेन-देन निगमित देनदार के साथ है। इसलिए, किसी व्यक्ति को निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में नामित करने के लिए, यह दिखाना होगा कि निगमित देनदार पर एक वित्तीय बकाया है।

ऐसे व्यक्ति के लिए ऋण। इस तरह से समझा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक तीसरा पक्ष जिसे कॉर्पोरेट देनदार पर वित्तीय ऋण बकाया नहीं है, वह संहिता के भाग II के उद्देश्य के लिए इसका वित्तीय लेनदार नहीं बन सकता है।

49. हमारे विचार में, इन अभिव्यक्तियों "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" के विशिष्ट तत्वों को, जो धारा 5 (7) और 5 (8) में दिखाई देते हैं, जब संहिता की धारा 3 (10) और 3 (11) में आने वाली सामान्य अभिव्यक्तियों "लेनदार" और "ऋण" की कल्पना और तुलना की जाती है, तो संहिता द्वारा परिकल्पित चीजों की योजना अधिक स्पष्ट हो जाती है। सामान्य शब्द "लेनदार" को किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित किया गया है जिसे ऋण देना है और फिर, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें एक "वित्तीय लेनदार", एक "सुरक्षित लेनदार", एक "असुरक्षित लेनदार", एक "परिचालन लेनदार" और एक "डिक्री-धारक" शामिल है। इसी तरह, "ऋण" का अर्थ है देयता।

या किसी दावे के संबंध में दायित्व जो किसी से देय है

व्यक्ति और इस अभिव्यक्ति को भी एक विस्तारित दिया गया है

इसका अर्थ है "वित्तीय ऋण" और "परिचालन ऋण" को शामिल करना। 49.1 . इन खंडों में "अर्थ और शामिल" अभिव्यक्ति का उपयोग, व्याख्या के उन्हीं सिद्धांतों पर जैसा कि

ऊपर इंगित, यह स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति को लेनदार बनने के लिए, एक ऋण होना चाहिए, यानी, एक दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व जो किसी भी व्यक्ति से देय हो सकता है। ए. " धारा 3 (30) के संदर्भ में "सुरक्षित लेनदार" का अर्थ है एक ऐसा लेनदार जिसके पक्ष में प्रतिभूति हित बनाया जाता है; और "प्रतिभूति"

धारा 3 (31) के संदर्भ में "ब्याज" का अर्थ है किसी लेन-देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाई गई या उसके लिए प्रदान की गई संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या दावा जो भुगतान को सुरक्षित करता है।

एक दायित्व के उद्देश्य के लिए और इसमें [2021] 6 एस. सी. आर. शामिल हैं।

इस प्रकार, लेनदार एक सुरक्षित लेनदार बन जाता है। हालांकि, जब सभी परिभाषित खंडों को एक साथ पढ़ा जाता है और सामंजस्यपूर्ण रूप से, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने "वित्तीय लेनदार", "परिचालन लेनदार", "सुरक्षित लेनदार" और "असुरक्षित" अभिव्यक्तियों के बीच अंतर बनाए रखा है।

लेनदार "। प्रत्येक सुरक्षित लेनदार एक लेनदार होगा और प्रत्येक वित्तीय लेनदार भी एक लेनदार होगा लेकिन प्रत्येक सुरक्षित लेनदार वित्तीय लेनदार नहीं हो सकता है। जैसा कि देखा गया है, "वित्तीय ऋण" और "वित्तीय लेनदार" अभिव्यक्तियों, जिनके विशिष्ट और विशिष्ट अर्थ और कॉर्पोरेट व्यक्तियों की दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया में भूमिकाएँ हैं, को केवल भाग II में परिभाषित किया गया है, जबकि "सुरक्षित लेनदार" और "प्रतिभूति हित" अभिव्यक्तियों को भाग I में परिभाषित किया गया है।

50. स्विस रिबन में इस न्यायालय के उच्चारण के साथ वैधानिक प्रावधानों का एक संयुक्त पठन [स्विस रिबन] (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17], इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि आई. बी. सी. की योजना में, इसका क्या उद्देश्य है

"वित्तीय लेनदार" अभिव्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसका निगमित देनदार के कामकाज में सीधा जुड़ाव है; जो निगमित देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करते समय शुरू से ही शामिल है; जो वित्तीय तनाव होने पर ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ निगमित देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में भी संलग्न होगा। दूसरे शब्दों में, वित्तीय लेनदार, अपने स्वयं के प्रत्यक्ष

निगमित देनदार के कार्यात्मक अस्तित्व में भागीदारी, अद्वितीय स्थिति प्राप्त करती है, जिसे निगमित के निर्वाह और विकास को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जा सकता है। ऋणी, एक अभिभावक के समान। दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में, हितधारकों के इस वर्ग, अर्थात् वित्तीय लेनदारों को विधायिका द्वारा इस तरह की भूमिका सौंपी गई है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है कि कॉर्पोरेट देनदार फिर से जीवित हो और अपने ऋणों को चुकाने की उचित क्षमता के साथ अपने पहियों पर वापस आ जाए।

दायित्व। अन्य लेनदारों सहित अन्य सभी हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण, स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट देनदार के इस तरह के पुनरुत्थान के साथ होगा। मेसर्स ओरेटोर मार्केटिंग पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. मेसर्स सैमटेक्स डिजाइन पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

29. जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (उपरोक्त) में, विचाराधीन ऋण तृतीय-पक्ष प्रतिभूति के रूप में थे, जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दिए गए थे।

उत्तरदाता से तीसरे पक्ष द्वारा प्राप्त सुरक्षित ऋण और अग्रिम

ऋणदाता और इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय ऋण नहीं माना जाता है। इस न्यायालय के लिए कार्यशील पूंजी को पूरा करने के लिए अग्रिम सावधि ऋण की स्थिति पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

निगमित देनदार की आवश्यकताएँ, जिन पर ब्याज नहीं होता था। आई. बी. सी. के लक्ष्यों, उद्देश्यों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि एक सावधि ऋण अपने संचालन के लिए एक कॉर्पोरेट ऋणदाता की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्यों है, जिसमें स्पष्ट रूप से है उधार लेने के व्यावसायिक प्रभाव को वित्तीय ऋण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

30. प्रभुदास दामोदर कोटेचा बनाम मनहाल जेरम में

दामोदर, इस न्यायालय ने 1976 के महाराष्ट्र अधिनियम XIX द्वारा संशोधित प्रेसीडेंसी लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1882 की धारा 41 (1) की व्याख्या करते हुए कहा कि 'सुनहरा नियम यह है कि एक क़ानून के शब्दों को प्रथम दृष्टया उनका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए जब भाषा या

31. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाता है कि एक वित्तीय संगठन द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए ट्रिगर आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत लेनदार कॉर्पोरेट देनदार द्वारा चूक की घटना है। 'चूक' का अर्थ है ऋण का पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान न करना जब ऋण देय और देय हो गया हो और ऋण का अर्थ है किसी दावे के संबंध में दायित्व या दायित्व जो किसी व्यक्ति से देय है और जिसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। 'ऋण' की परिभाषा भी व्यापक है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय ऋण भी शामिल है। द.

आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं है

ब्याज मुक्त ऋण को बाहर रखें। ' 'वित्तीय ऋण' का अर्थ किसी निगमित निकाय के व्यावसायिक संचालन के वित्तपोषण के लिए दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को शामिल करना होगा।

32. इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है। तदनुसार, विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। न्यायनिर्णायक का आदेश

प्राधिकरण, की धारा 7 के तहत अपीलार्थी की याचिका को खारिज करते हुए आई. बी. सी. भी अलग रखा गया है। धारा 7 के तहत याचिका को पुनर्जीवित किया गया है और कानून के अनुसार और उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में नए सिरे से निर्णय लिया जा सकता है।

33. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसी के अनुसार निपटाए जाते हैं।

अपील की अनुमति दी गई

निधि जैन